जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा।

C.C. Act. (Daily attedance)Case No. 07/2024-25

सरकार द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा बनाम संदीप मंडल

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
30.04.2024	पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-211/डी0सी0बी0, दिनांक-22.04.2024 द्वारा करमाटाँड़ थाना क्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं लोकसभा आम चुनाव-2024 के दृष्टिकोण से कुख्यात अपराधी संदीप मंडल, पिता-मनोज मंडल, साकिम-कुरवा, थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा वर्तमान पता साकिन-पाकडीह, थाना एवं जिला-जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-03(1)(a)3(1)(b)(1) के अंतर्गत थाना हाजरी के लिए प्रस्ताव की अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुरोध समर्पित किया गया है। उक्त पत्र का अवलोकन किया गया और पाया कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध वर्तमान में 1. करमाटाँड़ थाना काण्ड संख्या-77/2023, दिनांक-23.08.2023 धारा-147/148/149/353/332/337/379/504 भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0 एक्ट 2.करमाटाँड़ थाना काण्ड संख्या-77/2017, दिनांक-21.03.2017 धारा-414/419/420/467/468/ 471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0एक्ट 3.साईबर अपराध थाना काण्ड संख्या-12/2019 दिनांक-29.03.2019, धारा-414/419/420/467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0 एक्ट के अंतर्गत तीन मामले दर्ज है और साथ ही 1. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या-14/2024, दिनांक-14.03.2024 जिसमें अंकित है कि वह लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अशांति फैलाने की योजना बना रहा है। 2. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सनहा संख्या-17/2024, दिनांक-15.03.2024 में अंकित है कि वह पुनः अपराध करने की योजना बना रहा है। उल्लेखनीय है कि वह सक्रिय साईबर अपराधकर्मी है। वह साईबर अपराध पर काफी धन अर्जित किया है तथा अपने क्षेत्र में उसके द्वारा पैसे का धौंस दिखाया जाता है। पूर्व में साईबर अपराध कर जेल जा चुका है। वर्तमान अभियुक्त संदीप मंडल जमानत पर मुक्त है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान उसके द्वारा राजनीतिक दल से मिलकर पैसे का उपयोग कर उसके आस-पास के बूथों पर चुनाव को प्रभावित करने की संभावना है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर इसके विरूद्ध द0प्र0स0 धारा 107 एवं 110 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया गया है। तत्पश्चात सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा से मंतव्य का माँग किया गया। संदीप मंडल, पिता-मनोज मंडल सा0-कुरवा, थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा के संबंध में सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा के पत्रांक-194/अभि0, दिनांक-25.04.2024 द्वारा प्राप्त मंतव्य में अंकित है कि "कथित अपराधकर्मी के विरूद्ध धारा-414/419/420 भा0द0सं0 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत 03 मामले दर्ज हैं और चूँकि उक्त मामले धारा 3 खण्ड(a)तथा खण्ड(b) के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आते है तथा भा0द0सं0, 1860 के अध्याय XVII से भी संबंधित है, साथ ही अभियुक्त का वर्तमान क्रियाकलाप काफी संदिग्ध है इसलिए संबंधित थाना में उसके विरूद्ध सन्हा भी दर्ज किया गया है, अतः श्रीमान् उपायुक्त, जामताड़ा द्वारा CCA वाद दर्ज कर पारा 2के अंकित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए थाना में प्रतिदिन हाजिरी हेतु अधिकतम 06 माह तक की अवधि के लिए आदेश दिया जा सकता है।" तद्नुसार अपराधकर्मी संदीप मंडल, पिता-मनोज मंडल सा0-कुरवा, थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-03(1)(a)3(1)(b)(1)के अंतर्गत थाना हाजिरी हेतु प्राप्त प्रस्ताव की अग्रेतर कार्रवाई हेतु वाद दायर किया गया। उपर्युक्त तथ्य के आलोक में अपराधकर्मी संदीप मंडल को लिखित सूचना निर्गत कर कारण पृच्छा का माँग किया गया। नोटिस का तामिला प्राप्त है। अपराधकर्मी संदीप मंडल अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। उसके विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि संदीप मंडल के विरूद्ध वर्तमान कार्यवाही कानूनी रूप से जारी रखने योग्य नहीं है एवं कुछ बाहरी तथ्य के आधार पर वाद दर्ज किया गया है। अपराध कर्मी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3 के तहत्, "यह विश्वास करने के लिए उचित आधार विद्यमान होना चाहिए कि जिले या उसके किसी भाग में आपराधिक गतिविधियों में अभियुक्त सक्रिय हो जो भा0द0स0 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत् दण्डनीय अपराध या महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम-1956 से संबंधित अपराध हो या इन अपराधों का दुष्प्रेरण में वह शामिल हो"- संबंधित कोई मामला नहीं बनता है। साथ ही उनका कथन है	

कि अभियुक्त किसी पार्टी या गिरोह का सदस्य या नेता नहीं है एवं न ही किसी राजनैतिक दल का सदस्य या समर्थक है। विपक्षी आदतन अपराधी नही है। यह मानने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री उपलब्ध नही है कि उसके द्वारा जिला या उसके किसी भाग में संदिग्ध गतिविधियाँ, कृत्य, व्यक्तिओं या सम्पत्ति के खतरे या नुकसान के लिए कोई योजना बना रहा है। इस प्रकार वह असामाजिक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना में दर्ज काण्ड सं0-77/2023,77/2017 एवं 12/2019 से संबंधित सभी वाद न्यायालय में लम्बित एवं विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा उसे अब तक किसी मामले में दोषी नहीं पाया गया है। विपक्षी वर्तमान में पता-पाकडीह, थाना एवं जिला-जामताड़ा में रहता है एवं उसका साईबर अपराध या साईबर अपराधियों से कोई सम्पर्क नहीं है। अपराधकर्मी के अधिवक्ता का पुनः कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षी के प्रति द्वेष रखने वाले कुछ इच्छुक व्यक्तियों के हस्तक्षेप पर पुलिस द्वारा जानबूझकर उसके विरुद्ध सीसीए की कारवाई करने के लिए चिन्हित किया गया है। अभियुक्त के विज्ञ अधिवक्ता अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची द्वारा निर्णीत मामला ***राजकुमार तांती बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य:(2017)02 JH CK निर्णय तिथि 16.02.2017[PARA.(7&8)*** का उद्धहरण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3(1) के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 2(d) की शर्ते पुरी होने चाहिए एवं अभियुक्त का आदतन अपराधी होना आवश्यक है। साथ ही उनका कहना है कि किसी के विरुद्ध मात्र आपराधिक वाद लंबित होने पर CCA के अंतर्गत कारवाई नही की जा सकती है । इस प्रकार अभियुक्त के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अस्पष्ट आरोप के आधार पर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा-3 खण्ड(a)तथा खण्ड(b) के अंतर्गत अभियोजन नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया।

पक्षकार राज्य सरकार (द्वारा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा) की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक जामताड़ा उपस्थित हुए, उनको सुना। उनका कहना है कि पुलिस अधीक्षक जामताड़ा के पत्रांक-211/डी0सी0बी0, दिनांक-22.04.2024 द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिवेदित किया गया कि संदीप मंडल, पिता-मनोज मंडल सा0-कुरवा, थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा एक सक्रिय साईबर अपराधकर्मी है। वह साईबर अपराध से काफी धन अर्जित किया है तथा अपने क्षेत्र में उसके द्वारा पैसे का धौंस दिखाया जाता है। पूर्व में साईबर अपराध कर जेल जा चुका है तथा वर्तमान में अभियुक्त संदीप मंडल जमानत पर मुक्त है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान उसके द्वारा राजनीतिक दल से मिलकर पैसे का दुरुपयोग कर उसके द्वारा आस-पास के बूथों पर चुनाव को प्रभावित करने की प्रबल संभावना है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर इसके विरूद्ध द0प्र0स0 धारा 107 एवं 110 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उसके विरुद्ध जामताड़ा जिला अतंर्गत आपराधिक इतिहास के रूप में काण्ड एवं सनहा दर्ज है, जिसका विवरणी निम्न प्रकार हैः-

1. करमाटाँड थाना काण्ड संख्या-77/2023, दिनांक-23.08.2023 धारा-147/ 148/ 149/ 353/ 332/337/379/504 भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0 एक्ट में आरोप पत्र संख्या-129/2023, दिनांक-30.11.2023 समर्पित।
2. करमाटाँड थाना काण्ड संख्या-77/2017, दिनांक-21.03.2017 धारा-414/419/420/467/468/ 471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0 एक्ट में आरोप पत्र संख्या-174/2019, दिनांक-31.12.2017 समर्पित।
3. साईबर अपराध थाना काण्ड संख्या-12/2019 दिनांक-29.03.2019, धारा-414/ 419/ 420/ 467/468/471/120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) आई0टी0 एक्ट में आरोप पत्र संख्या-33/2019, दिनांक-24.06.2019समर्पित।
4. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सन्हा संख्या-14/2024, दिनांक-14.03.2024 जिसमें अंकित है कि वह लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में अशांति फैलाने का योजना बना रहा है।
5. करमाटाँड़ थाना दैनिकी सन्हा संख्या-17/2024, दिनांक-15.03.2024 में अंकित है कि वह पुनः अपराध करने की योजना बना रहा है।

पुनः विज्ञ सहायक लोक अभियोजक की ओर से कहा गया कि तथाकथित अपराधकर्मी के विरूद्ध एक ही तरह के अपराध करने संबंधित पूर्ववृत्त इतिहास है और अपराधकर्मी के विरूद्ध पुनः साईबर गतिविधियों में संलिप्त होने की सूचना मिल रही है जिस कारण से अभियुक्त के विरूद्ध दो सन्हा भी दर्ज किया जा चुका है। उनका यह भी कथन है कि जामताड़ा जिले के अंदर साईबर अपराध संबंधित

मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अपराधियों द्वारा अर्जित इस धन का उपयोग चुनाव प्रक्रिया बाधित किए जाने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। विज्ञ सहायक लोक अभियोजक कहना है कि चूंकि अभियुक्त के विरुद्ध बार-बार साइबर अपराध में संलिप्त होने का साक्ष्य मौजूद है एवं साथ ही उसके विरूद्ध धारा-414/419/420 भा0द0वि0 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत मामले दर्ज हैं जो भा0द0सं0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित अपराध है अतः अपराधकर्मी संदीप मंडल झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा2(d)के अंतर्गत असामाजिक तत्व की परिधि में आते हैं एवं एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है अतःइस प्रकार उसके द्वारा थाना करमाटाँड़ में साईबर अपराध किये जाने एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 को प्रभावित करने की संभावना, करमाटाँड़ थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–03(b) के तहत् छः माह की अवधि या दिनांक-07.05.2024 से 10.07.2024 तक करमाटाँड़ थाना में प्रतिदिन हाजिर हेतु विद्धान सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा अनुरोध किया गया।

विद्धान सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत दो मामले क्रमश:***गोडबिन खान उर्फ गोडविन खान बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य: निर्णय*** एवं***अमर नाथ सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य:निर्णय तिथि 26.10.2021*** का उद्धहरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि संबन्धित अपराधकर्मी संदीप मंडल,अधिनियम की धारा– 3 (b)के तहत कोई आदेश पारित करने हेतु,अधिनियम की धारा 2(d) की शर्ते पूरी करता है तथा साथ ही अभियुक्त आदतन अपराधी भी है।

उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ता को सुना। पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के पत्रांक-211/डी0सी0बी0, दिनांक-22.04.2024 एवं उसमें संलग्न कागजातो एवं सहायक लोक अभियोजक, जामताड़ा द्वारा समर्पित मंतव्य एवं अन्य कागजातो का अवलोकन किया गया। साथ ही संदीप मंडल के अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया कारणपृच्छा -सह- लिखित बहस का अवलोकन किया गया। अपराधकर्मी संदीप मंडल द्वारा प्रस्तुत करणपृच्छा में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को नकारने के लिए आधारहीन एवं अप्रासंगिक तथ्यों का समावेशन किया गया है तथा साथ ही उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर भी असंतोषप्रद है। प्रस्तुत दस्तावेजो एवं साक्ष्यों से पता चलता है कि इस अपराधकर्मी के विरुद्ध साइबर अपराध के तीन मामले काण्ड सं0-77/2023,77/2017 एवं 12/2019 दर्ज है एवं क्षेत्र में पुनः साइबर अपराध में सक्रिय रहने की आसूचना भी प्राप्त हुई है जिसके आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा इस आशय का सन्हा संख्या 14/2024 एवं 17/2024 भी दर्ज किया गया है। चूंकि अराधकर्मी संदीप मंडल द्वारा भा0द0सं0, 1860 के अध्याय XVII से संबंधित धारा-414/419/420 सहित अन्य अधिनियम के अंतर्गत बार-बार अपराध किया गया है अतः वह झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–2(d)के तहत् असामाजिक तत्व की परिधि में आता है साथ ही एक ही तरह के अपराध में संलिप्त होने के कारण आदतन अपराधी भी है। अतः अपराधकर्मी की गतिविधियों से आगामी लोक सभा चुनाव 2024 के प्रभावित होने एवं लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव एवं अनुशंसा, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत बहस एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में, अंतर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरांत संतुष्ट होकर यह आवश्यक समझती हूँ कि अपराधकर्मी संदीप मंडल, पिता-मनोज मंडल, साकिम-कुरवा, थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा को लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुये और जिले में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–03(b) के तहत् जामताड़ा जिला अंतर्गत थाना करमाटाँड़ में प्रतिदिन एकबार हाजिर होने का आदेश दिया जाना आवश्यक है।

अतः अपराधकर्मी संदीप मंडल द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 को प्रभावित करने की संभावना एवं करमाटाँड़ थाना क्षेत्र में लोकशांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टिकोण से झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–03(b) के अंतर्गत जामताड़ा जिला में लोकसभा आम चुनाव-2024 के परिणाम अवधि के पश्चात तक दिनांक-07.05.2024 से 10.07.2024 तक अपराधकर्मी संदीप मंडल को थाना करमाटाँड़ में प्रतिदिन एकबार हाजिर होने की आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–7(1)bके तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे रू0 10000/- (दस हजार) की समान राशि का दो बंधपत्र (with two sureties) दिनांक-07.05.2024 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक-07.05.2024 से 10.07.2024 तक थाना करमाटाँड़ में प्रतिदिन एकबार हाजिर होंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर अपराधकर्मी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम-2002 की धारा–7(2)bके तहत कार्रवाई की जायेगी।

इस आदेश की प्रति संदीप मंडल, संबन्धित थाना प्रभारी तथा पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा को अनुपालनार्थ भेजा जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

उपायुक्त,
जामताड़ा।

Seen
30.04.24

Rec. ... 30/4/24

Digitally signed by 127.0.0.1
Date: 2024.06.03 11:23:33 +05:30
Location: 192.168.43.106